GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

# The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

## Saturday, 28 Dec , 2024

## Edition: International Table of Contents


| | |
|---|---|
| **Page 04**<br>**Syllabus : GS 3 : पर्यावरण** | 2024 में जलवायु आपदाओं ने दुनिया भर में तबाही मचाई, जिससे नुकसान हुआ |
| **Page 04**<br>**Syllabus : प्रारंभिक तथ्य** | यूएनएससी ने सोमालिया में नए शांति मिशन को अधिकृत किया |
| **समाचार में** | केरल में आदिवासी आत्महत्याओं पर एनएचआरसी की कार्रवाई |
| **समाचार में** | संपत्ति कर |
| **समाचार में** | वन और वृक्ष क्षेत्र बढ़ा, आग की घटनाओं में कमी |
| **Page 06 : संपादकीय विश्लेषण:**<br>**Syllabus : GS 2 : सामाजिक न्याय - शिक्षा** | जाति से हाशिए पर, शिक्षा में हाशिए पर |


GEO IAS
It's about quality

**Page : 04 : GS 3 : Environment – Environmental pollution and degradation**

वर्ष 2024 इतिहास का सबसे गर्म वर्ष होगा, जिसमें वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व जलवायु आपदाएं होंगी, जिसका कारण बढ़ता तापमान और गर्म होते महासागर होंगे।

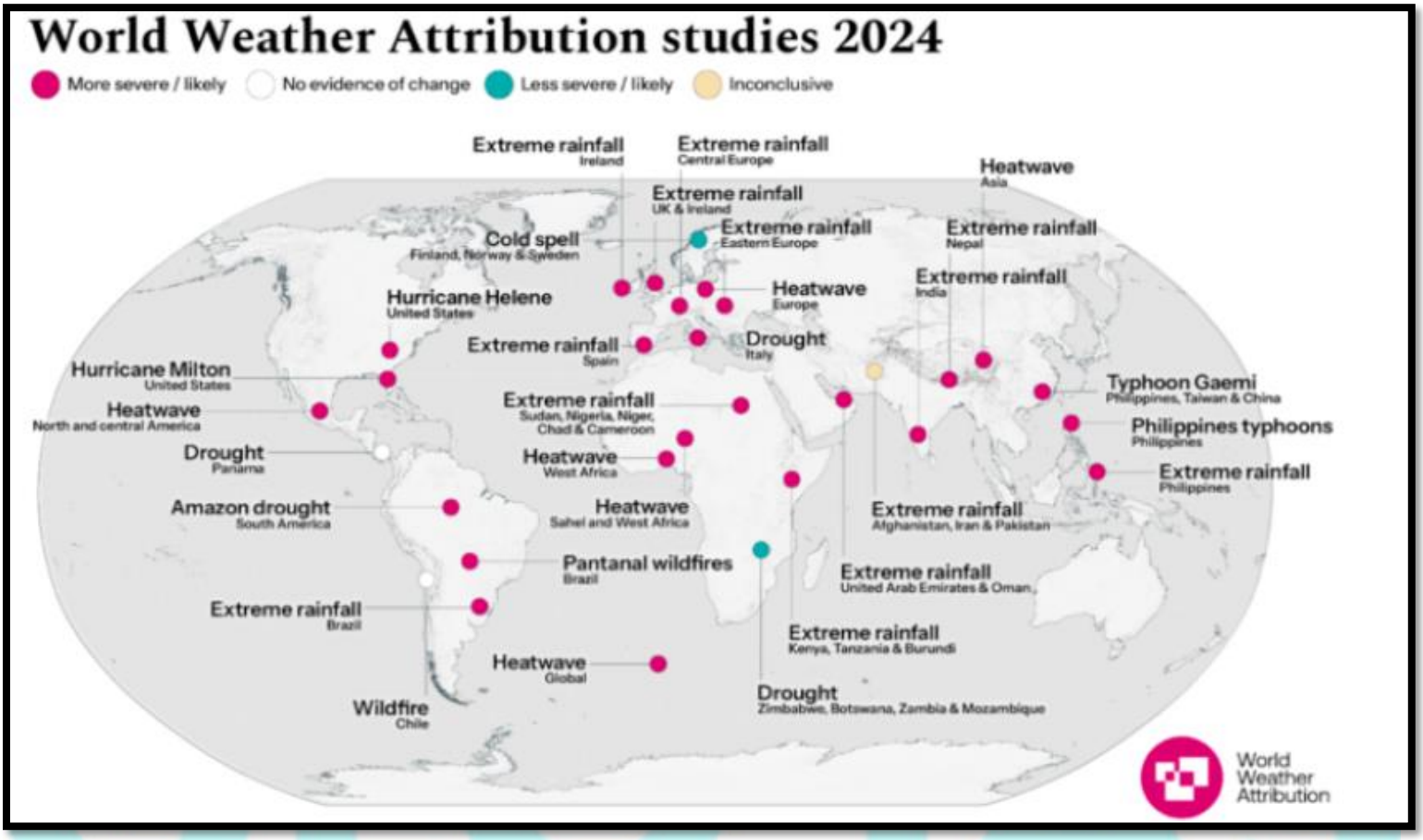


- चरम मौसम की घटनाओं के कारण गंभीर हताहत, आर्थिक नुकसान और व्यापक विस्थापन हुआ, जो जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों को दर्शाता है।

**2024 की जलवायु आपदाओं का अवलोकन**

- 2024 में गरीब क्षेत्रों से लेकर समृद्ध शहरों तक, विविध क्षेत्रों में अभूतपूर्व जलवायु आपदाएँ देखी गईं।
- यह रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें बढ़ते वायुमंडलीय और महासागरीय तापमान ने चरम मौसम की घटनाओं को बढ़ावा दिया।
- लगभग हर विश्लेषित आपदा जलवायु परिवर्तन के कारण और भी गंभीर हो गई, जिसने जलवायु प्रभावों के एक नए खतरनाक युग को चिह्नित किया।

### बढ़ते तापमान के प्रभाव

- अत्यधिक गर्मी के कारण गंभीर हताहत हुए, विशेष रूप से तीर्थयात्रा जैसे आयोजनों के दौरान और थाईलैंड, भारत और यू.एस. जैसे देशों में।
- उच्च तापमान ने सूखे, जंगल की आग और तूफान को तेज कर दिया।

### बाढ़ और भारी वर्षा

- गर्म महासागरों और बढ़े हुए वाष्पीकरण के परिणामस्वरूप महाद्वीपों में भारी वर्षा और बाढ़ आई।
- अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के देशों ने ऐतिहासिक बाढ़ का अनुभव किया, जिससे लाखों लोग विस्थापित हुए और महत्वपूर्ण हताहत हुए।

### तूफान और चक्रवात

- गर्म समुद्री सतह ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और तूफानों की ऊर्जा और विनाशकारी क्षमता को बढ़ा दिया।
- कैरिबियन, फिलीपींस और मैयट जैसे क्षेत्रों ने कई विनाशकारी तूफानों का सामना किया।

### आर्थिक नुकसान और परिणाम

- चरम मौसम से वैश्विक क्षति $310 बिलियन तक पहुँच गई।
- इन आपदाओं के कारण जान-माल का नुकसान हुआ, आबादी विस्थापित हुई और गरीबी बढ़ी, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव अथाह रहा।

**PYQ: Mains 2016**

**प्रश्न: पिछले कुछ वर्षों में भारी वर्षा के कारण शहरी बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। शहरी बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए, ऐसी घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने के लिए तैयारियों के तंत्र पर प्रकाश डालें। (200 words/12.5m)**

GEO IAS
It's about quality

## Page 04 : Prelims Fact

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रमुख दाताओं की ओर से वित्तीय चिंताओं के बीच सोमालिया को स्थिर करने के लिए एक नए अफ्रीकी संघ मिशन, AUSSOM को मंजूरी दी।

- यह मिशन 2025 में बड़े AU आतंकवाद विरोधी अभियान की जगह लेगा।

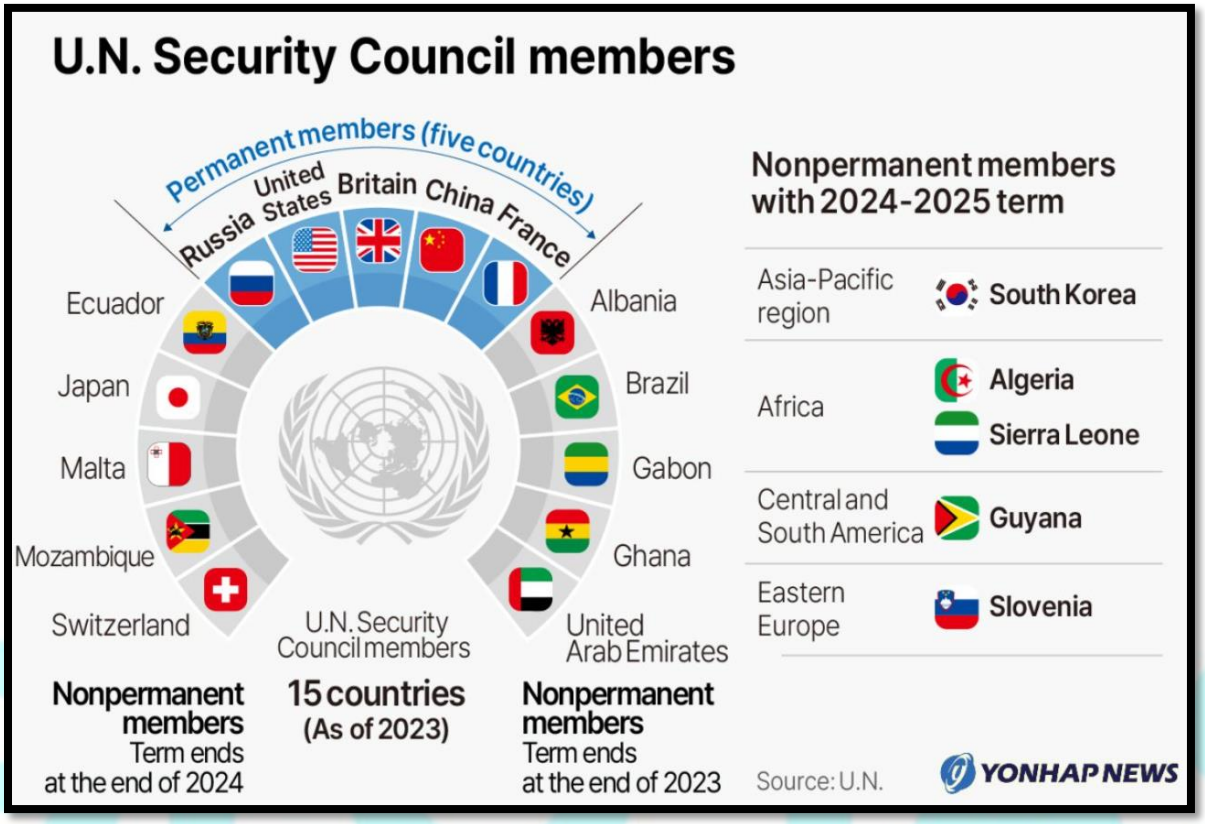


**समाचार का विश्लेषण:**

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमालिया में अफ्रीकी संघ स्थिरीकरण और सहायता मिशन (AUSSOM) को अधिकृत किया, जो 1 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले बड़े AU आतंकवाद विरोधी अभियान की जगह लेगा।
- इथियोपिया के 2006 के आक्रमण के बाद से सोमालिया की सुरक्षा विदेशी संसाधनों पर निर्भर रही है, जिसने इस्लामवादी नेतृत्व वाले प्रशासन को हटा दिया, लेकिन एक घातक विद्रोह को जन्म दिया।
- यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो AU बलों के प्रमुख वित्तपोषक हैं, ने दीर्घकालिक वित्तपोषण और स्थिरता पर चिंताओं के कारण शांति सैनिकों की संख्या कम करने की मांग की।
- नए बल पर बातचीत चुनौतीपूर्ण थी, जिसमें वित्तपोषण की जटिलताएँ उजागर हुईं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने वित्तपोषण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए मतदान से परहेज किया, जबकि 14 अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

## संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और सैन्य कार्रवाई को अधिकृत कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है और शांति अभियान स्थापित कर सकता है।
- परिषद में 15 सदस्य हैं: 5 स्थायी सदस्य (P5) - चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका - और 10 गैर-स्थायी सदस्य जो दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
- स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, जिससे वे किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोक सकते हैं।
- निर्णय लेने के लिए कम से कम नौ वोटों की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी स्थायी सदस्यों की सहमति शामिल है।
- UNSC का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है और इसकी नियमित और आपातकालीन बैठकें होती हैं।
- इसके प्रस्ताव सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।

GEO IAS
It's about quality

# In News : NHRC Action on Tribal Suicides in Kerala

NHRC ने केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के पेरिंगमला पंचायत में आदिवासी आबादी के बीच आत्महत्याओं में खतरनाक वृद्धि को उजागर करने वाली एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया।

- रिपोर्ट से पता चला है कि 2011 और 2022 के बीच इस क्षेत्र में 138 आत्महत्याओं के बाद 2024 में 23 आत्महत्याएँ होंगी।

**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के बारे में:**

- NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।
- यह भारत में मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जो भारत के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों द्वारा गारंटीकृत जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जुड़े अधिकारों की देखरेख करता है।
- NHRC मानवाधिकारों पर पेरिस सिद्धांतों के साथ संरेखित है, जो जवाबदेही और अनुपालन सुनिश्चित करता है।

**मानवाधिकारों की परिभाषा:**

- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(1)(d) के अनुसार, मानवाधिकारों में संविधान द्वारा संरक्षित जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार या भारतीय न्यायालयों में लागू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों में उल्लिखित अधिकार शामिल हैं।

**NHRC की संरचना**

- NHRC एक बहु-सदस्यीय निकाय है, जिसमें शामिल हैं:
- **पूर्णकालिक सदस्य:**
  o एक अध्यक्ष (भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश)।
  o सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय का एक वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकारों के तीन विशेषज्ञ (एक महिला होनी चाहिए) शामिल हैं।
- **पदेन सदस्य:**
- **अध्यक्ष:**
  o अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पिछड़ा वर्ग, बाल अधिकार संरक्षण और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के लिए राष्ट्रीय आयोग।

- **नियुक्ति:**
  o सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:
  · लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति,
  · संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता,
  · केंद्रीय गृह मंत्री।
  o न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक है।
- **अवधि और सेवा की शर्तें:**
  o अवधि: 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।
  o पुनर्नियुक्ति: कार्यकाल पूरा करने के बाद अनुमति दी जाती है।
  o कार्यकाल के बाद, सदस्य केंद्र या राज्य सरकारों के साथ रोजगार नहीं मांग सकते।
- **वेतन और भत्ते:**
  o केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद सदस्यों के नुकसान के लिए शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता।
- **हटाने की प्रक्रिया:**
  o भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित आधारों पर सदस्यों को हटा सकते हैं:
  · दिवालियापन, कार्यालय से बाहर वेतनभोगी रोजगार, शारीरिक/मानसिक अक्षमता, अस्वस्थ मन या आपराधिक दोष।
  · कदाचार या अक्षमता के लिए, मामले को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है, और उसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जाता है।

## In News : Wealth Tax

क्या भारत में असमानता को दूर करने के लिए संपत्ति कर को पुनः लाया जाना चाहिए?

**संपत्ति कर के बारे में:**

- संपत्ति कर किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली विभिन्न संपत्तियों, जैसे कि नकदी, बैंक जमा, शेयर, अचल संपत्ति, व्यक्तिगत कार और अचल संपत्ति के शुद्ध बाजार मूल्य पर लगाया जाता है।
- विश्व स्तर पर, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन जैसे कई देश संपत्ति कर लगाते हैं।
- कर का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों की अनुत्पादक और गैर-आवश्यक संपत्तियों को लक्षित करना है।

**भारत में संपत्ति कर:**

- परिचय: संपत्ति कर अधिनियम 1957 में कर युक्तिकरण उपायों के एक भाग के रूप में कलडोर समिति (1955) की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था।
  - o इसने व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और कंपनियों के लिए प्रति वर्ष ₹30 लाख से अधिक की आय पर 1% कर लगाया।
- उन्मूलन: व्यापक मुकदमेबाजी, अनुपालन बोझ में वृद्धि और उच्च प्रशासनिक लागत जैसे मुद्दों के कारण 2015 में समाप्त कर दिया गया।
  - o सुपर-रिच पर अधिभार में वृद्धि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- प्रतिस्थापन उपाय: ₹1 करोड़ से अधिक आय वाले व्यक्तियों और ₹10 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों के लिए अधिभार 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया।

**अन्य प्रासंगिक आर्थिक अवधारणाएँ:**

- टोबिन कर: वित्तीय लेनदेन, विशेष रूप से मुद्रा विनिमय पर कर।
- पिगोवियन कर: नकारात्मक बाह्यताओं (जैसे, प्रदूषण कर) को ठीक करने के लिए लगाया जाता है।
- लाफ़र वक्र: कर दरों और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है।
- कर-जीडीपी अनुपात: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व को दर्शाता है, जो राजकोषीय विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है।

GEO IAS
It's about quality

# In News : Forest and Tree Cover Grows, Fire Incidents Fall

जलवायु परिवर्तन से निपटने, जैव विविधता को संरक्षित करने और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए वन महत्वपूर्ण हैं।

- भारत की वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 में नवीन सरकारी योजनाओं और सामुदायिक प्रयासों द्वारा समर्थित वन और वृक्ष आवरण विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया है।
- यह उपलब्धि पर्यावरण संरक्षण को सतत विकास के साथ संतुलित करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

## परिचय

- कार्बन को अवशोषित करके, जैव विविधता को संरक्षित करके और स्वच्छ हवा और पानी जैसी आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करके वन जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- भारत में वन संरक्षण में सकारात्मक बदलाव भारत की वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 में परिलक्षित होता है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि वन और वृक्ष आवरण अब 827,357 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत के भूमि क्षेत्र का 25.17% है, जिसमें 21.76% वन आवरण और 3.41% वृक्ष आवरण शामिल हैं।

## ISFR 2023: भारत के वनों का एक स्नैपशॉट

- ISFR भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा उपग्रह और फ़ील्ड डेटा का उपयोग करके किया जाने वाला एक द्विवार्षिक मूल्यांकन है, जिसकी पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी।
- 2023 संस्करण में दो खंड शामिल हैं:
  - o खंड-I: राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन, जिसमें वन क्षेत्र, मैंग्रोव, जंगल की आग, कार्बन स्टॉक और दशकीय परिवर्तन शामिल हैं।
  - o खंड II: वन क्षेत्र और फ़ील्ड सूची पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर का डेटा।

## वन क्षेत्र में वृद्धि

- भारत में वन क्षेत्र 2013 में 698,712 वर्ग किमी से बढ़कर 2023 में 715,343 वर्ग किमी हो गया।
- आग की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, 2023-24 में 203,544 आग के हॉटस्पॉट थे, जबकि 2021-22 में 223,333 थे।
- भारत ने 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य का कार्बन सिंक हासिल किया, जो 2005 से 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त है, जो इसके 2030 NDC लक्ष्य के करीब है।

## सरकारी योजनाएँ और पहल

- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) ने उन्नत मानचित्रण प्रणालियों, वन अग्नि चेतावनी प्रणाली और 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वन सीमाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से वन निगरानी में सुधार किया।

## मुख्य योजनाओं में शामिल हैं:

- ग्रीन इंडिया मिशन (GIM): बहाली और विस्तार के माध्यम से वन क्षेत्र में वृद्धि, 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को 944.48 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- नगर वन योजना (NVY): शहरी क्षेत्रों में हरित स्थान विकसित किए गए, जिसमें 546 परियोजनाओं के लिए 431.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- स्कूल नर्सरी योजना (SNY): स्कूलों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया, जिसमें 743 परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं और 4.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- मैंग्रोव पहल (MISHTI): तटों के किनारे मैंग्रोव को बहाल किया गया, जिसमें 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को 944.48 करोड़ रुपये जारी किए गए। कई राज्यों को 17.96 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
- प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन (CAMPA): गैर-वन गतिविधियों के कारण वनों की क्षति को कम किया गया।
- वनरोपण लक्ष्य: केंद्रीय और राज्य योजनाओं के मिश्रण के साथ बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य।
- जागरूकता अभियान: वन महोत्सव और वन्यजीव सप्ताह जैसे आयोजनों के दौरान वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया।

## वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा

- भारत के वन और वन्यजीव संरक्षण प्रमुख कानूनों द्वारा शासित हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - o भारतीय वन अधिनियम, 1927
  - o वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980
  - o वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- राज्य-विशिष्ट कानून और वृक्ष संरक्षण अधिनियम शहरी और ग्रामीण वृक्ष संरक्षण सुनिश्चित करते हैं।

## लोगों का प्रकृति से जुड़ाव

- पद्मश्री तुलसी गौड़ा जैसे व्यक्तिगत योगदान सामुदायिक भागीदारी के महत्व को दर्शाते हैं।
- "वृक्षों की माता" के रूप में जानी जाने वाली, उन्होंने बंजर भूमि से हरे-भरे जंगल बनाने के लिए लाखों पेड़ लगाने में 60 से अधिक वर्ष समर्पित किए।

## निष्कर्ष

- भारत वन और वृक्ष आवरण में प्रभावशाली वृद्धि, आग की घटनाओं में कमी और कृषि वानिकी विस्तार के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता की ओर आगे बढ़ रहा है।
- नवीन सरकारी पहल और सामुदायिक भागीदारी संरक्षण और बहाली के लिए भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
- ये सामूहिक प्रयास सभी के लिए एक हरित, स्वस्थ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

**PYQ : Mains 2020**

**प्रश्न: भारत के वन संसाधनों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन पर इसके परिणामी प्रभाव का परीक्षण करें। (250 words/15m)**

GEO IAS
It's about quality

GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

Page : 06 Editorial Analysis

# Marginalised by caste, marginalised in education

Atul Kumar, the son of a daily wage worker and from the Scheduled Caste community, lost his seat at IIT Dhanbad after he was unable to pay the seat booking fee of ₹17,500 that was required to secure his admission. His case gained widespread attention on social media, prompting the Supreme Court of India to intervene by exercising its extraordinary powers under Article 142 to grant him admission. There are many and similar cases like Atul's, but which never draw media attention or receive justice, leaving many deserving students without opportunities due to financial constraints and systemic inequalities.

**The rise in tuition fees**

The struggles that Dalit students face echo the challenges of pre-Independence India when they were barred from enrolling in educational institutions because of their caste. While these historical restrictions were overt, the situation now is more insidious. Under the "Atmanirbhar Bharat Abhiyan", the Government of India has been pushing for self-reliance in institutions, leading to a significant increase in fees in many government colleges and universities such as the Indian Institutes of Technology (IIT), the Indian Institutes of Management, the central universities, and the National Law University. For instance, in 2016, the IIT council's standing committee agreed to increase the undergraduate tuition fees by 200%. This meant a fee increase from ₹90,000 to ₹3 lakh a year.

In response to the criticism regarding the fee increase, the committee set up by the government asserted that students from marginalised communities would benefit from the Vidyalakshmi scheme, which offers interest-free scholarships. However, while this initiative aims to provide support, it remains insufficient to fully address the financial challenges faced by these students, especially as fees continue to rise. The hike in fees that was implemented in seven IIMs including increased tuition fees; IIM-Lucknow hiked it by nearly 30%, IIM-Ahmedabad and IIM-Shillong by 5%, IIM Lucknow by 29.6%, IIM-Calcutta by 17.3%, IIM-Kozhikode by 23.1%, IIM-Ranchi by 19% and IIM-Tiruchirappalli by 20%. IIT-Delhi increased tuition fees for full-time M.Tech students in the semester in 2022-23. The total academic fee is now ₹53,100, which does not include hostel fees. This is a 100% increase from last year's fee of ₹26,450.

The frequent hikes in fees have made it increasingly difficult for students from the marginalised communities to afford higher education or even pursue studies through loans.

**Sumant Kumar**

Associate Professor at the Alliance School of Liberal Arts, Alliance University, Bangalore

Rising costs in higher education are one of the many issues affecting Dalit students

With rising costs in the Indian education system, many students from the marginalised communities are unable to even consider enrolling in prestigious institutions such as the IITs and the IIMs despite securing competitive ranks. As a result, while some students manage to cope with the financial burden, there are others who are overwhelmed by the stress and the inequality in academic institutions. This pressure, exacerbated by the high cost of education, has a human angle too. In 2021, data showed that over the past seven years, 122 students from the IITs and the IIMs had ended their lives, many due to the financial strain of rising fees and the anxiety of securing employment.

**The issue of dropouts**

Another harsh reality is that many students who manage to enrol themselves in prestigious institutions eventually drop out due to their inability to afford rising education fees. The Human Resources Development Ministry reported that 2,461 students dropped out of IITs in just two years (2017 and 2018). Last year, this issue was raised in the Lok Sabha, revealing that over the past five years, more than 13,500 students from the Scheduled Castes (SC), the Scheduled Tribes (ST), and Other Backward Classes (OBC) had dropped out of courses in the central universities, the IITs and the IIMs. Government data showed that in the central universities, 4,596 students from the Other Backward Classes, 2,424 SC students, and 2,622 ST students dropped out during this period. In the IITs, 2,066 OBC students, 1,068 SC students, and 408 ST students left. Similarly, the IIMs saw 163 OBC, 188 SC, and 91 ST students drop out over the past five years. These numbers highlight the significant challenges faced by marginalised communities in accessing and sustaining higher education in India.

One of the key reasons behind the poor economic conditions of the Dalit community is that their identity in India is still largely defined by caste. Dalits continue to be denied the opportunity to perform work that is on a par with others in society. This has not only left them economically marginalised but also socially vulnerable. Dalits in India are considered an oppressed and discriminated class, often labelled as "untouchable". Historically, this stigmatisation has meant that Dalits have been denied access to education. The term "untouchables" also refers to those who have been forced into the most undesirable and degrading jobs. A recent survey in 29 States on urban sewer and septic tank workers revealed that 92% of these workers belong to Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), and Other Backward Classes (OBC). A 2019 report by former Education Minister Ramesh Pokhriyal revealed that 95% of faculty positions in IITs were held by individuals from upper caste backgrounds, with only 5% allocated to SC, ST, and OBC categories, despite these groups representing 70%-80% of India's population. An RTI filed by IIT-Bombay students further exposed the disparities, showing that 24 departments had no SC faculty, 15 lacked ST representation, and nine had no OBC faculty. These statistics highlight the deep-rooted caste-based inequalities that persist in both employment and education.

**The barriers still exist**

After Independence, with provisions in the Constitution and welfare mechanisms, Dalit school enrolment rates have improved over time However, Dalit children continue to face significant barriers in education, including poverty, social discrimination, and caste-based prejudice. Dalit students are often judged based on their clothes, language, and other markers, making it difficult for them to integrate with their upper caste peers.

In many cases, caste-based remarks and discrimination wound these students, leading to social isolation. Some students succumb to the emotional toll of this prejudice – there are cases such as a woman postgraduate medical student in a medical college in Maharashtra and two students from IIT Bombay and IIT Delhi that are painful reminders of this reality. These incidents underscore the persistent shadow of casteism and harassment over the aspirations of many Dalit students. This troubling situation raises a critical question: how can these prestigious institutions effectively address this issue and foster a safe, inclusive environment for all students?

The unfortunate incidents of student suicides point to the immense pressure students face in the education system. Many students are burdened by their families' expectations that completing a degree will solve their economic problems. But unemployment in India is also high. An RTI filed in 2024 about IIT placements showed that approximately 8,000 students (38%) across 23 IIT campuses remained unplaced this year. For students from the marginalised communities, this struggle is even more pronounced, as their caste identity often doubles the challenges they face in securing jobs. These issues underscore the pressing need for systemic reforms in education and employment to alleviate the pressures on students and address caste-based disparities.

**GS Paper 02 : सामाजिक न्याय - शिक्षा**

**PYQ: (UPSC CSE (M) GS-1 2020) : भारत में डिजिटल पहलों ने देश की शिक्षा प्रणाली के कामकाज में किस तरह योगदान दिया है? अपने उत्तर को विस्तार से बताइए। (250 words/15m)**

**UPSC Mains Practice Question: बढ़ती ट्यूशन फीस और प्रणालीगत जाति-आधारित भेदभाव भारत में हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में बाधा डालते हैं। सामाजिक समानता पर इन बाधाओं के प्रभावों पर चर्चा करें और उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने के उपाय सुझाएँ। (150 Words /10 marks)**

## संदर्भ:

- भारत में हाशिए पर पड़े छात्रों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियाँ शिक्षा तक पहुँच में प्रणालीगत असमानताओं को उजागर करती हैं।
- आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों में बढ़ती ट्यूशन फीस दलित और वंचित छात्रों के लिए आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को बढ़ाती है।
- जाति-आधारित भेदभाव और रोज़गार की चुनौतियाँ प्रणालीगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता को और रेखांकित करती हैं।

## अतुल कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

- अनुसूचित जाति के छात्र अतुल कुमार ने ₹17,500 सीट बुकिंग शुल्क का भुगतान करने में असमर्थता के कारण आईआईटी धनबाद की अपनी सीट खो दी।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें प्रवेश देने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया।
- इस तरह के कई मामले अनदेखे रह जाते हैं, जिससे योग्य छात्र वित्तीय बाधाओं और प्रणालीगत असमानताओं के कारण अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

## बढ़ती ट्यूशन फीस

- "आत्मनिर्भर भारत अभियान" जैसी सरकारी पहलों के कारण प्रमुख संस्थानों में फीस में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- 2016 में आईआईटी स्नातक की फीस में 200% की वृद्धि हुई, जो ₹90,000 से बढ़कर ₹3 लाख सालाना हो गई।
- **आईआईएम ट्यूशन फीस में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है:**
  - o आईआईएम-लखनऊ में 29.6%, आईआईएम-अहमदाबाद में 5% और आईआईएम-कलकत्ता में 17.3% की वृद्धि हुई।
  - o आईआईटी-दिल्ली ने 2022-23 में अपनी एम.टेक सेमेस्टर फीस को ₹26,450 से बढ़ाकर ₹53,100 कर दिया।
- इन वृद्धियों के कारण हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है, भले ही विद्यालक्ष्मी जैसी योजनाएँ सीमित ब्याज-मुक्त छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती हों।

### हाशिए पर रहने वाले छात्रों पर प्रभाव

- बढ़ती शिक्षा लागत हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करती है, जिससे वे प्रतिस्पर्धी रैंक के बावजूद प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला लेने से वंचित रह जाते हैं।
- वित्तीय तनाव के कारण 2014 से 2021 के बीच आईआईटी और आईआईएम में 122 छात्रों ने आत्महत्या की है।

### उच्च ड्रॉपआउट दर

- कई छात्र शिक्षा के वित्तीय बोझ को वहन करने में असमर्थता के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं।
- 2017 और 2018 के बीच, 2,461 छात्र आईआईटी से बाहर हो गए।
- पांच वर्षों में, 13,500 से अधिक एससी, एसटी और ओबीसी छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम से बाहर हो गए।

### ऐतिहासिक और चल रही जाति-आधारित बाधाएँ

- दलितों को अक्सर कम वेतन वाली, अवांछनीय नौकरियों तक ही सीमित रखा जाता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक हाशिए पर बने रहते हैं।
- शहरी सीवर और सेप्टिक टैंक के काम में, 92% कर्मचारी एससी, एसटी या ओबीसी समुदायों से हैं।
- आईआईटी में संकाय का प्रतिनिधित्व विषम है, जिसमें 95% पद उच्च जाति के व्यक्तियों के पास हैं।
- कई विभागों में एससी, एसटी या ओबीसी संकाय की कमी है।

### दलित छात्रों के लिए लगातार चुनौतियाँ

- संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, दलित छात्रों को गरीबी, भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है।
- जाति-आधारित टिप्पणियाँ और सामाजिक अलगाव उनके संघर्ष को और बदतर बना देते हैं, जिससे भावनात्मक संकट और कुछ मामलों में आत्महत्याएँ होती हैं।
- आईआईटी बॉम्बे और मेडिकल कॉलेजों जैसे संस्थानों में होने वाली घटनाएँ शिक्षा में जातिवाद के गंभीर मुद्दे को उजागर करती हैं।

### हाशिये पर पड़े छात्रों के लिए रोज़गार की चुनौतियाँ

- पारिवारिक अपेक्षाएँ और उच्च बेरोज़गारी दर छात्रों पर दबाव को और बढ़ा देती हैं।
- 2024 में, 23 परिसरों में 38% आईआईटी स्नातक (लगभग 8,000 छात्र) बिना किसी नौकरी के रह गए।
- हाशिये पर पड़े समुदायों के लिए, जातिगत पहचान नौकरी पाने में कठिनाई की एक और परत जोड़ती है।

### निष्कर्ष

- बढ़ती फीस, जाति-आधारित भेदभाव और रोज़गार असमानताओं को संबोधित करना समावेशी और न्यायसंगत उच्च शिक्षा और रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।